न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री बीरबल सिंह शेखावत, आर.ए.एस.
अपील संख्या : 20/2020
निर्णय दिनांक: 04.08.2020

लालचन्द पुत्र श्री धन्ना जाति अहीर, निवासी: ग्राम प्रागपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।

---अपीलार्थी

बनाम

1. राजेन्द्र पुत्र श्री कानाराम जाति जाट, निवासी: ग्राम प्रागपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।
2. सरकार जरिये तहसीलदार कोटपूतली, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।

---रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 30.12.2019 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली, जिला जयपुर प्रार्थना पत्र संख्या 141/2018 उनवानी लालचन्द बनाम राजेन्द्र व अन्य अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :–

1. अपीलान्ट की ओर से एक अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली, जिला जयपुर के प्रार्थना पत्र संख्या 141/2018 बउनवानी लालचंद बनाम राजेन्द्र व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 30.12.2019 के विरूद्व धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए बाबत रास्ता इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि आराजी हाल खसरा नंबर 1559/0.63 वाके मौजा प्रागपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर राजस्थान में स्थित है। प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि में प्रार्थी ने कुछ भूमि में अपने रिहायशी मकान बना रखे है तथा शेष भूमि में काश्त करता है। प्रार्थी की उक्त भूमि में आने जाने का कोई रास्ता वर्तमान में रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं है। आराजी हाल खसरा नंबर 1565/0.50 वाके मौजा प्रागपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर राजस्थान का खातेदार काश्तकार अप्रार्थी संख्या 1 है। उक्त भूमि में से प्रार्थी पूर्वी डोल के सहारे–सहारे अर्सा कदीम से अपने खेतों व उसमें बने मकानों पर आता–जाता है, अपने वाहन, पशु इत्यादि ले जाता रहा है, उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के पास अपने खेतों व मकानों में आने–जाने के लिये अन्य कोई रास्ता मौके पर उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी की आराजी खसरा नंबर 1559/0.63 वाके मौजा प्रागपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर राजस्थान में आने–जाने हेतु उक्त रास्ते के अलावा मौके पर अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है एवं प्रार्थी की आराजी में आने–जाने हेतु एकमात्र रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 की आराजी हाल खसरा नंबर 1565/0.50 वाके मौजा प्रागपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर राजस्थान में स्थित है जिसे संलग्न नक्शे में बरंग सुर्ख लाल रंग से दर्शाया गया है जिसमें सुगमता से 20 फुट चौडा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

रास्ता उपलब्ध हो सकता है जिस हेतु प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या 1 को उचित मुआवजा दिये जाने हेतु तैयार है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी को रास्ता देने से साफ इंकार कर दिया है एवं प्रार्थी के पास अपनी उपरोक्त वर्णित आराजी व उसमे बने मकानों में आने–जाने हेतु अन्य कोई रास्ता मौके पर उपलब्ध नहीं है। इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी की भूमि आराजी हाल खसरा नंबर 1559/0.63 वाके मौजा प्रागपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर राजस्थान में आने–जाने हेतु रास्ता 20 फीट चौडा अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की भूमि आराजी खसरा नंबर 1565 /0.50 वाके मौजा प्रागपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर राजस्थान में दिलवाये जाने के आदेश प्रदान करे। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षकारान की बहस सुनकर बाद बहस मनन दिनांक 30.12.2019 के माध्यम से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई, रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया बावजूद बाद तामील रेस्पोडेन्ट न्यायालय हाजा के समक्ष अनुपस्थित रहे इस कारण रेस्पोडेन्ट के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही की गई। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब होने पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील अपीलान्ट की एकतरफा बहस सुनी गई। वकील अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से यही निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों पर गौर किये बिना ही गलत निर्णय पारित किया है। तहसीलदार महोदय द्वारा पटवारी हल्का से रिपोर्ट मंगवायी थी जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि प्रार्थी के पास अपनी आराजीयात में पहुंच के लिये अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी रिपोर्ट दिनांक 25.02.2019 पर कोई ध्यान न देकर जल्दबाजी में अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। इस कारण अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 30.12.2019 खारिज फरमाया जावे। अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी. 2017 पेज 980, आर.आर.टी. 2019 पेज 1098, आर.आर.टी. 2019 पेज 574, आर.आर.टी. 2018–19 पेज 511 प्रस्तुत किये।

4. वकील अपीलान्ट की एकतरफा बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। बाद अवलोकन यह पाया कि अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन एवं काश्त करने हेतु रास्ते बाबत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश किया, जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 30.12.2019 के माध्यम से खारिज कर दिया। राजस्व जमाबंदी व नक्शा शीट के अवलोकन पश्चात् पाया गया कि आराजी खसरा नंबर 1559 रकबा 0.63 हैक्टेयर प्रार्थी/अपीलान्ट की खातेदारी की भूमि है जिसमें आवागमन एवं काश्त हेतु प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1565 रकबा 0.50 हैक्टेयर में से आवागमन हेतु रास्ते का अनुतोष चाहा गया। जिस पर अप्रार्थी के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रार्थी द्वारा वर्णित कथनों का इंकार कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1559 में पहुंच हेतु अन्यत्र ग्राम प्रागपुरा के काकड के सहारे–सहारे प्रार्थी के पास भूमि में आवागमन हेतु वैकल्पिक मार्ग होना अपने जवाब में वर्णित किया गया है जिसके बाबत

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट दिनांक 29.08.2019 को देखने से स्पष्ट है कि जांच रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 4 के अनुसार " प्रार्थी के खसरा नंबर 1559 में पहुंच हेतु ग्राम प्रागपुरा कांकड के साथ लगती गै.मु. नहर जिस पर अतिक्रमण किया हुआ है उससे खसरा नंबर 1558 से होकर खसरा नंबर 1559 में पहुंचा जा सकता है जिसकी दूरी भी समान पडती है परन्तु उक्त नहर/रास्ता रैफरेन्स संबंधित है अतः पहुंच हेतु अन्य कोई रास्ता नहीं है। " इस प्रकार जांच रिपोर्ट में तहसीलदार द्वारा गै.मु. नहर/नाला इत्यादि में अतिक्रमण हेतु एवं नहर/नाला की भूमि रैफरेन्स संबंधित मामला होने से प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध होना नहीं बताया है। कानूनन भी नहर/नदी/नाला आदि की भूमि रैफरेन्स संबंधित मामला होने से इसमें कोई रास्ता कायम नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार तहसीलदार द्वारा तैयार की गई जांच रिपोर्ट से भी प्रार्थी के पास अन्यत्र रास्ता उपलब्ध न होने के तथ्य प्रमाणित पाये जाते है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार स्पष्ट है कि मुख्य मार्ग से प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक पहुंच हेतु अन्यत्र मार्ग उपलब्ध नहीं है इस कारण अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर अपीलान्ट/प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आवागमन एवं काश्त हेतु अप्रार्थी की भूमि खसरा नंबर 1565 में से 20 फुट चौडे रास्ते का प्रस्ताव मंजूर किया जाना न्यायोचित है।

5. अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली जिला जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.12.2019 खारिज किया जाता है। अधिनस्थ न्यायालय को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी/अपीलार्थी से अप्रार्थीगण की भूमि में से प्रस्तावित 20 फीट रास्ते हेतु उपयोग में ली जाने वाली भूमि की डी.एल.सी. राशि की गणना कर डी.एल.सी. राशि की दुगुनी राशि प्राप्त कर रास्ते के रूप में उपयोग में ली जाने वाली भूमि का रकबा बरारी कर राजस्व रिकॉर्ड में रास्ते का इन्द्राज (गै.मु. रास्ता सिवाय चक) दर्ज करे। जो रास्ता सावर्जनिक होगा एवं तहसीलदार से नक्शा ट्रेस में तरमीम की कार्यवाही करवाये। पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ प्रतिप्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद दाखिल दफ्तर हो।

6. निर्णय आज दिनांक 04.08.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर